न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 179 /2018 (18 आयुध अधिनियम 1959) (R.C.M.S . no 2018/00197)

रामरतन पुत्र हरिके जाति जाटव निवासी ग्राम कासगंज पुलिस थाना मनियां जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 14.6.2016 अनुज्ञा पत्र संख्या 95 / 1984

उपस्थितिः—

1. श्रीमती रचना सिनसिनवार वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर।

निर्णय

दिनांकः 18.09.2019

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 14.6.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट ने अपने अनुज्ञापत्र को जो कि दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकृत था को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 22.12.2015 को आवेदन किया। जिस पर तहत अदालत द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 28.1.2016 के द्वारा अवगत कराया कि अपीलान्ट के विरूद्ध मुकदमा नम्बर **221 / 03** धारा 323,341,324,307,3 / 25 आर्म्स एक्ट, मुकदमा नम्बर **242 / 04** धारा 41—42 फोरेस्ट एक्ट एवं मुकदमा नम्बर **309 / 04** धारा 41—42 फोरेस्ट एक्ट जिसमें चार्जशीट माननीय न्यायालय पेश हो चुकी है और अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गई है। जिसके आधार तहत अदालत ने अपने अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निरस्त कर दिया गया है जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि तहत अदालत ने आदेश जेर अपील पारित करते समय इस तथ्य की ओर कतई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट को जारी शस्त्र अनुज्ञापन संख्या 95 / 1984 तहत अदालत द्वारा विधिवत रूप से सन् 1984 में जारी किया गया था। अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश से पूर्व कभी भी अपने शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया है और शस्त्र अनुज्ञापन की समस्त शर्तों का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पूर्णरूपेण पालन किया गया है एवं तहत अदालत द्वारा सन् 1984 से ही लगातार शस्त्र का नियमानुसार नवीनीकरण किया जाता रहा है फिर भी आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है इसलिऐ अपीलाधीन आदेश काबिल निरस्तनीय है। यह कि अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2015 तक नवीनकृत था जिसे आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपना कर निर्धारित शुल्क भी जमा कराया गया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 28.1.2016 को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटी की गई है, क्यों कि उक्त रिपोर्ट गलत तथ्यों के साथ प्रस्तुत की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट में दर्ज प्रकरणों का निस्तारण कई सालों पूर्व ही हो चुका था। प्रकरण संख्या **57/2004** का अन्तिम निर्णय दिनांक 23.7.2004 को एवं प्रकरण संख्या **292/2004** का निर्णय दिनांक 18.10.2006 को एवं प्रकरण संख्या **309/2004** का निर्णय दिनांक 28.6.2007 को हो चुके है। इस समस्त प्रकरणों में उक्त शस्त्र का दुरूपयोग व लोक शान्ती भंग का कोई आरोप नहीं था और न ही इन प्रकरणों की समाप्ति 2007 के पश्चात कोई भी अन्य प्रकरण अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज नहीं हुये है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया है जो काबिले मंसूखी है। यह कि तहत अदालत के समक्ष अपीलान्ट द्वारा जबाब प्रस्तुत कर स्पष्ट कर दिया गया था कि वर्तमान में नवीनीकरण प्रार्थना पत्र के दौरान कोई भी प्रकरण विचारधीन नहीं था फिर भी तहत अदालत ने अपने अपीलाधीन निर्णय में प्रकरणों को विचाराधीन मानते हुये निर्णय जेर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। यह कि तहत अदालत के समक्ष ऐसा कोई अन्य नवीन तथ्य नहीं था जिससे अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण के समय या उसके पश्चात लोक शान्ती भंग का कोई कृत्य किया हो । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र पूर्व प्रकरणों के आधार पर ही आदेश पारित किया गया है जबकि माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2013(2) डब्लू0एल0सी (राज0) 393, 2013 (3) सी.एल.आर. (राज0) 1292, 2005(2) सी.एल.आर. (राज0) 907 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आपराधिक मामले के लम्बित रहने मात्र से अनुज्ञापन निरस्त नहीं किया जा सकता है। जबकि अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज सभी प्रकरणों सन 2007 में ही समाप्त हो चुके थे उसके पश्चात 2007 से लगतार 2015 तक अनुज्ञाप0 नवीनीकृत होता रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश काबिल निरस्तनीय है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश बिना सुनवाई अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया है इसलिऐ अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.6.206 की जानकारी अपीलान्ट को कतई नहीं थी । जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के पश्चात भी अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। अपीलान्ट तहत अदालत में नवीनीकरण हेतु निरन्तर जाता रहा किन्तु कोई जानकारी नहीं दी गई। दिनांक 20.8.2018 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई । उसी दिन नकल के लिये आवेदन किया जिसकी नकल प्राप्त होने पर अपील बिना किसी देरी के प्रस्तुत की गई है। अपील

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रस्तुतीकरण में हुई देरी क्षमा योग्य है। जिसके लिये पृथक से दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि तहत अदालत का निर्णय विधि सम्मत् नही है। अतः अपील स्वीकार कर तहत अदालत का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने के आदेश दिये जावे।

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक द्वारा तहत अदालत जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.6.2016 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह है कि अपीलान्ट ने अपने अनुज्ञापत्र को जो कि दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकृत था को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 22.12.2015 को आवेदन किया। जिस पर तहत अदालत द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 28.1.2016 के द्वारा अवगत कराया कि अपीलान्ट के विरूद्ध मुकदमा नम्बर **221/03** धारा 323,341,324,307,3/25 आर्म्स एक्ट, मुकदमा नम्बर **242/04** धारा 41–42 फोरेस्ट एक्ट एवं मुकदमा नम्बर **309/04** धारा 41–42 फोरेस्ट एक्ट जिसमें चार्जशीट माननीय न्यायालय पेश हो चुकी है और अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गई है। जिस पर बाद कार्यवाही तहत अदालत ने यह माना है कि माननीय न्यायालय ए0डी0जे0 संख्या 2 सेंशन प्रकरण संख्या **57/2004** में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दोषी माना गया है। मुकदमा संख्या **242/04** धारा 41–42 फोरेस्ट एक्ट सी0एस0 13/29.8.2004 एवं 309/04 धारा 41–42 फोरेस्ट एक्ट सी0एस0 230/3.10.2004 में माननीय न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की जा चुकी है। अपीलान्ट द्वारा अपने जबाब में मुकदमा संख्या 57/2004 में माननीय न्यायालय द्वारा निर्दोष घोषित किया जाना अंकित किया है जबकि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दोषी सिद्ध किया गया है एवं अन्य मुकदमा संख्या 242/04 धारा 41–42 फोरेस्ट एक्ट, 309/04 धारा 41–42 फोरेस्ट एक्ट प्रकरण विचाराधीन होने के तथ्यों को छिपाया गया है। जो एक लाईसेंसी शस्त्र–धारक के लिये कतई उचित नहीं है। राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांक प.1 (13) गृह–9/2006 दिनांक 16.12.2006 के बिन्दु संख्या 5 के उपबिन्दु (5,2,4) में अनुज्ञापत्र नवीनीकरण आवेदन के निस्तारण बाबत निर्देश दिये गये है कि "**तदन्तर अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञापत्रधारी के आचरण बाबत सन्तुष्टि की जाकर अनुज्ञापत्र नवीनीकरण करेगा**" अपीलान्ट का यह कहना कि सुना नहीं गया गलत है क्यों कि अपीलान्ट ने स्वयं जबाब पेश किया है और जबाब में अपने विरूद्ध मुकदमों के बारे में सही जानकारी और वास्तविक स्थिति को उपरोक्तानुसार छिपाया

गया है। इस अधिनियम की धारा 17(3) अनुज्ञापन अधिकारी को अनुज्ञापत्र को निलम्बन करने एवं निरस्त करने की व्यापाक शक्तियां प्रदान करता है। धारा 17(3) (बी) पब्लिक पीस, पब्लिक सैफ्टी के हित में अनुज्ञापत्र को निलम्बन करने एवं निरस्त करने का प्राधिकार देती है। जहां अनुज्ञापन अधिकारी ऐसा करना उचित व आवश्यक समझे। जहां तक प्रश्न अनुज्ञापन अधिकारी की सन्तुष्टि का है वह पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर ही हो सकती है जो कि लोक शान्ती व सुरक्षा के लिये जिले के उत्तरदायी अधिकारी है। इस प्रकरण में यह स्पष्ट हो चुका है कि अपीलान्ट के विरूद्ध आपराधिक मुकदमें दर्ज हुये है जिनमें वाद परीक्षण सक्षम अदालतों द्वारा अन्तिम निर्णय पारित किये जा चुके है जिनमें अपीलान्ट को दोषी भी माना गया है इस तथ्य को अपीलान्ट ने अपने जबाब में भी छिपाया है जो उसकी आपराधिक छवि को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में जिला पुलिस आधीक्षक धौलपुर की इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो चुका है कि अपीलान्ट एक आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है जिस पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुये है। उक्त लाईसेंसधारी के पास शस्त्र रहने से उसके दुरूपयोग होने एवं लोकशांति भंग होने की आशंका रहेगी। इसलिये जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुये तहत अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 17(3)(बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है जो न्यायिक है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
>
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट का यह कथन कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया उचित नहीं है क्यों कि तहत पत्रावली में अपीलान्ट का जबाब दिनांक 10.5.2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संलग्न है एवं नोटिस दिनांक 6.4.2016 पर अपीलान्ट रामरतन के प्राप्ति के हस्ताक्षर दिनांक 19.4.2016 अंकित है। अपीलान्ट के खिलाफ सक्षम अदालत में चल रहे जिस मुकदमे का जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है उनमें माननीय न्यायालय ए0डी0जे0 संख्या 2 सेंशन प्रकरण संख्या 57/2004 में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दोषी माना गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग संख्या–2 धौलपुर ने भी **मुकदमा संख्या 554/04 धारा 41–42 में दिनांक 18.10.2006 को निर्णय पारित किया गया है जिसमें अपीलान्ट रामरतन को दोषी माना है।** अपीलान्ट द्वारा अपने जबाब में मुकदमा संख्या 57/2004 में माननीय न्यायालय द्वारा निर्दोष घोषित किया जाना अंकित किया है जबकि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में **धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दोषी सिद्ध किया गया है** एवं अन्य मुकदमा संख्या 242/04 धारा 41–42 फोरेस्ट एक्ट, 309/04 धारा 41–42 फोरेस्ट एक्ट प्रकरण विचाराधीन होने के तथ्यों को छिपाया गया है। जो एक लाईसेंसी शस्त्र–धारक के लिये कतई उचित नहीं है। पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट को आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति बताया गया है। इस संदर्भ में गृह (ग्रुप–9) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.1 (13) गृह–9/2006 दिनांक 16.12.2006 में बिन्दु संख्या 5 के उप बिन्दु (5,2,4) में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञापत्रधारी के आचरण बाबत सन्तुष्टि की जाकर अनुज्ञापत्र नवीनीकरण करेगा । इसी संदर्भ में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 13 के अंतर्गत जिला अधिकारी न्यायिक अधिकारी नहीं है, बल्कि प्रशासनिक अधिकारी है **(8कि0 लॉ ज0 347–4 एन.एन.आर. 134)** इसी क्रम में न्यायिक दृष्टान्त **1956 कि0 लॉ0 ज 105–ए. आई. आर.1956 पंजाब 33** में सिद्धान्त प्रतिपादित है कि प्रशासनिक अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत शासन के हित तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये आयुध के अनुज्ञप्तिकरण के मामले में स्वयं के विवेकानुसार कार्य करने में सक्षम है। इसके अलावा मानवीय दृष्टिकोण और इंसानियत से ओतप्रोत न्यायिक दृष्टान्त **ए0आई0आर0 1953 मद्रास 476– 153 कि0 लॉ0 ज 917** में यह स्पष्ट किया है कि आयुधों का स्वतन्त्र अर्जन तथा उपयोग सामान्य जनता के हित को ध्यान में रखते हुये नियन्त्रित किया जाता है। अनियन्त्रित अग्नायुधों का उपयोग लोकहित के लिये हानिकारक हो सकता है इसके अलावा इसके द्वारा हिंसात्मक क्रान्ति, नरसंहार, आगजनी तथा लोकशान्ती में हिंसात्मक उपद्रव कर सकते हैं। दूसरी तरफ आयुध अधिनियम व्यक्तियों के हाथ शान्तिमय जीवन, मनोरंजन, आनन्द तथा शिकार के अलावा दुष्ट व्यक्तियों तथा जंगली जानवारों से रक्षा तथा रक्षोपाय सुनिश्चित करते हैं। अधिनियम की प्रस्तावना में उल्लेखित लोक प्रयोजनों (public purpose) को सुनिश्चित करने हेतु विधि तन्त्र निर्देशित किया गया है। अनुज्ञापन अधिकारी को यह निश्चित करने हेतु कि किसको अनुज्ञप्ति दी जाये अथवा किसको न दी जाये, विवेक शक्ति प्राप्त है। इसी क्रम में एक अन्य न्यायिक दृष्टान्त **ए0 आई0 आर0 1958 कलकत्ता 420** जो इस प्रकरण में पूर्ण रूपेण चस्पा होता है जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विधि के अन्तर्गत उन व्यक्तियों के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हित में जो दोषमुक्त हो गये हैं लाईसेन्स देने से इन्कार करने के विरूद्ध निषेध नहीं है, क्यों कि आयुधों का अनुज्ञप्तिकरण लोकहित (public interest) में किया जाता है तथा यह आवश्यक नहीं है कि अनुज्ञप्ति देने से इन्कार उन व्यक्तियों तक ही सीमित रहे जो संगीन अपराध के दोषी हो। इस प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया है। प्रकरण में नियमानुसार न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट अनुज्ञाधारी के विपरीत होना अनुज्ञाधारी के चरित्र पर प्रश्नचिन्ह लगाता है साथ ही अनुज्ञाधारी के संदिग्ध चरित्र को स्पष्ट दर्शाता है जबकि एक अनुज्ञाधारी का शस्त्रधारक बने रहने का मुख्य आधार उसका नेक चाल–चलन ही महत्वपूर्ण होता है। तहत अदालत ने जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में अंकित अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज आपराधिक मुकदमों में सक्षम अदालतों के द्वारा दोषी माने जाने के परिपेक्ष्य में ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इस प्रकार कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यक्ता प्रतीत नहीं रहती है और निलम्बित किये गये अनुज्ञापत्र को बहाल किया जाना हम उचित नहीं पाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा तहत अदालत का निर्णय दिनांक 14.6.2016 बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.9.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official